



भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)  
Ministry of Environment, Forest and Climate Change  
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024  
Kendriya Bhawan, 5<sup>th</sup> Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025  
Email: (Env.) m\_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeffolko@gmail.com

पत्र सं० 8 बी/राज०/06/17/2015/एफ.सी. 1908

दिनांक: 16-3-18

सेवा में,

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
वन विभाग, अरण्य भवन,  
ज्ञालना इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान

**Online Proposal No.- FP/RAJ/ROAD/6988/2014**

**विषय : Diversion of 2.0 ha. of forest land for construction of road from Ramgarh-Kalapatta road to Karwala Laxmipura under RRSMP in Raj. In Baran Forest Division.**

**सन्दर्भ : प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), जयपुर, राजस्थान का पत्रांक- एफ14 (Road)/2014/एफ0सी0ए0/प्रमुवसं/829, दिनांक- 08.02.2018**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक- 15.12.2017 द्वारा आवश्यक सूचना चाही गयी थी जिसकी अधूरी अनुपालना आख्या प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), जयपुर के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करें।

1. ROW of proposed road is taken 8 metre by the user agency for which justification may be sought in the light of recommendation of road congress for single lane road as proposed.
2. Original Toposheets for CA and land to be diverted have not been submitted.

भवदीय,

(के० के० तिवारी)  
वन संरक्षक(के.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. विशेष सचिव (वन), राजस्थान सरकार, जयपुर, राजस्थान।
2. उप वन संरक्षक, बारां, राजस्थान।
3. अधिशासी अभियन्ता, सा० नि० वि०, एन.एच. बारां, राजस्थान।
4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5. आदेश पत्रावली।

*Kindly provide the required information by COI.*  
MIL  
20/3/18

(के० के० तिवारी)  
वन संरक्षक(के.)

विशेषाधिकारी  
वन विभाग  
शासन विभाग, जयपुर